न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0–14, बाराबंकी

मूलवाद संख्या–203/99

रमापति बनाम बलराम पाण्डे आदि

12.10.2017

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6

उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादी संक्रमणीय भूमिधर भूमि संख्या 551 रकबा दो बिस्वा 12 बिस्वांसी स्थित ग्राम अगामपुर परगना दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर जिला बाराबंकी का काबिज व दखील है, जिसकी चौहद्दी उत्तर सड़क जो 539 पर है, जिस पर वादी का नाम दर्ज है, दक्षिण भूमि त्रिजुगी नरायन, पूरब खेत तथा पश्चिम खेत राम प्रकाश है। प्रतिवादीगण का कोई स्वामित्व अथवा अध्यासन विवादित भूमि पर नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.06.99 को ईंटा व इमारती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है तथा उक्त भूमि पर दूकानात कायम कर लेना चाहते हैं तथा विवादित स्थल पर वाद के लम्बन काल में निर्माण कार्य जारी कर रखा है। अतः प्रतिवादीगण को द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा मना किया जाए कि विवादित भूमि में कोई हस्तक्षेप न करे तथा कोई निर्माण न करें।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आपत्ति ग–72 प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादी की भूमि गाटा संख्या 551 पर 40 वर्ष पूर्व से ही विष्णुगोपाल, रामू दीक्षित, अजय कुमार व उत्तम कुमार के मकानात दुकानात बने हैं। उक्त गाटा संख्या 551 को 35 वर्ष पूर्व ही वादी ने उपरोक्त लोगों के हाथ बेंचा था, विक्रय पत्र नहीं लिखा था। आबादी की भूमि होने के कारण, जिसका रकबा साढ़े बिस्वा है 80 फुट गुणे 90 फुट है, जो 7200 वर्ग फुट है। प्रतिवादी संख्या 1 का मकान वादी की भूमि पर व गाटा संख्या 551 पर नहीं बना है। प्रतिवादी संख्या 1 का मकान 1970 के पूर्व कच्चा बना था व छप्पर रखा था तथा 1970 में पक्का बना था, तब से आज तक दुकाने व मकान पक्का बना है, जिसका स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 1 है तथा काबिज व दखील है। वादी का उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

वादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी सूची ग–9 से खसरा ग–10, खतौनी ग–11, सूची ग–16 से खसरा ग–17 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

कमीशन रिपोर्ट 13.09.99 तथा वादी द्वारा वाद पत्र में संशोधन कर स्वयं यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विवादित स्थल पर कुछ निर्माण किया गया है। अतः विवादित स्थल पर वादी अथवा प्रतिवादी में से किसका कब्जा

व दखल है, यह साक्ष्योपरान्त ही किया जा सकता है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 14.11.2017 को पेश हो।

(आरती द्विवेदी)
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
कोर्ट संख्या 14, बाराबंकी।